प्रति,

chaturpost.com

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विषय – प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष से सम्बद्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किये जाने बाबत्।

संदर्भ – छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 255, 257, 258 के प्राधिकार से प्रकाशित दिनाँक 06 अप्रैल 2022।

chaturpost.com

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश के कई निजी विश्वविद्यालयों द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष से संबंधित पाठ्यक्रमो को प्रारंभ किया जा रहा है। तत्संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 मार्च 2022 अधिसूचना के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनाँक 06 अप्रैल 2022 को प्राधिकार से प्रकाशित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनाँक 16 सितम्बर 2008 विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, दाऊकल्याण सिंह भवन, रायपुर क्रमांक 8850/डी. 242/21–अ/प्रा./छ.ग./08 छत्तीसगढ़ विधानसभा का अधिनियम छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 जिस पर दिनाँक 12.09.2008 को माननीय राज्यपाल महोदय जी की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ है तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनाँक 29.04.2016 से प्रभावशील है। विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा शिक्षा से सम्बद्ध आधुनिक चिकित्सा पद्धति, दन्त चिकित्सा, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, लोक स्वास्थ्य एवं अन्य पाठ्यक्रमों का संचालन, सम्बद्धता, परीक्षा आयोजन एवं उपाधि प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 की धारा 06 (1), (2) एवं (3) के अनुक्रम में प्रदेश के अन्य कोई संस्था, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों का संचालन नहीं किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमाँक 255, 257, 258 दिनाँक 06 अप्रैल 2022 में प्रकाशन के आधार पर छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों जैसे कलिंगा विश्वविद्यालय, आरंग रायपुर, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय धनेली रायपुर एवं आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय छुरा गरियाबंद द्वारा चिकित्सा शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों जैसे बी.एससी. नर्सिंग, एम.एससी. नर्सिंग, फिजियोथैरेपी, बी.एससी. (आप्टोमेट्री), रिनल डायलिसिस टेक्नालॉजी आदि चिकित्सीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है।

chaturpost.com

Scanned with CamScanner

चिकित्सा शिक्षा से संबंधित सभी पाठ्यक्रम चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रारंभ किये जाने वाले सभी चिकित्सा पाठ्यक्रम वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ शासन के अंतर्गत न होकर चिकित्सा शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत होना चाहिए।

इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमाँक/कुलसचिव कक्ष/डी.यू.एच.एस./ 2022/16 दिनाँक 24.02.2022 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के अवर सचिव, राजभवन, रायपुर को पूर्व में अवगत कराया गया है। छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम की धारा 29(2) के तहत् उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जा रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा चिकित्सा संकाय के अंतर्गत प्रारंभ किये जा रहे चिकित्सा पाठ्यक्रमों के संबध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

रायपुर 6817
दिनाँक :– 10-06-22

(डॉ. ए. के. चन्द्राकर)
कुलपति

chaturpost.com

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन,नवा रायपुर, अटल नगर–492002

क्रमांक: एफ 17–33/2022/55, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 2 JUL 2022

प्रति,

chaturpost.com

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
रायपुर, छत्तीसगढ

विषय:– भारती विश्वविद्यालय दुर्ग मे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी) पाठ्यक्रम 50 सीट के साथ प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने बावत।

संदर्भ:– आपका पत्र क्रमांक 2331/प्रोजेक्ट/संचिशि/2022, दिनांक 23.02.2022

--00--

उपरोक्त विषयातर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य मे भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग को बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी) पाठ्यक्रम 50 सीट के साथ प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान करती है कि उक्त संस्था छत्तीसगढ़ सह चिकित्सीय परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के संबंध मे बनाये जाने वाले नियमों एवं विनियमों का पालन करेगी। संस्था को पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आयुष विश्वविद्यालय से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

(जनक कुमार)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृष्ठ क्रमांक एफ 17–33/2022/55, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
2. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
3. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवा तल, एन.बी.सी.सी. सेन्टर प्लॉट न. 2 कम्युनिटी सैन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020
4. संचालक, भारती विश्वविद्यालय, पुलगाव चौक, दुर्ग छ.ग.।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5. आदेश फोल्डर हेतु।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

उपरवारा सेक्टर –40, अटल नगर (छ0ग0)–493661

(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21 / 2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष / फैक्स 0771–2263234

website : www.cghealthuniv.com

E-mail : healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक / कुलसचिव कक्ष / DUHS / 2022 / 16 रायपुर, दिनांक–24 / 02 / 2022

प्रति,

अवर सचिव,
महामहिम राज्यपाल,
राजभवन, रायपुर (छ.ग.)

chaturpost.com

विषयः– प्रदेश में स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष से संबंद्ध विषयों का पाठन एवं संबद्धता के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में चिकित्सा एवं आयुष से संबंधित विषयों का अध्यापन कराया जा रहा है, जो कि नियमानुकुल नही है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के स्थापना के समय प्रकाशित राजपत्र 16 दिसंबर सन् 2008 के धारा क्रमांक 6.1 के अनुसार "छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थापित ,अनुमोदित, संबंद्ध और मान्यता प्राप्त कोई भी चिकित्सा दंत, नर्सिंग, फिजियोथैरेपी, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी संस्था या कोई संकाय या कोई महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के मंजूरी के बिना विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालयों से किसी भी रूप में सहयोजित या किसी विशेषाधिकार की स्वीकृति की मांग नही करेगी।"

विदित हो, कि प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालय यथा कलिंगा विश्वविद्यालय, आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, भारती विश्वविद्यालय, रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा एवं आयुष से संबंधित पाठ्यक्रमों का पाठन किया जाता है, जो कि नियमानुकुल नही है। इन विश्वविद्यालय के संज्ञान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ पत्राचार से इस विसंगति के बारे में अवगत कराया जा चुका है। परंतु कोई ठोस परिणाम प्राप्त नही हुआ है, ये समस्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 29(2) के तहत उपरोक्त पाठ्यक्रम चला रहे है।उल्लेखनीय है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के राजपत्र की धारा 6.2 अनुसार पूर्व के सभी संबद्धता संचालन आदेश निरसित होंगे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

S–S.
V.C.
28/2
Put

chaturpost.com

प्रभारी कुलसचिव

पृ. क्रमांक / कुलसचिव कक्ष / DUHS / 2022 / 17-22 रायपुर, दिनांक–24 / 02 / 2022

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, मान. स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अवर सचिव, विधि विधायी विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर, (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संचालक, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. माननीय कुलपति के सचिव, प.दी.द.उपा.स्वा.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी कुलसचिव

चिकित्सा शिक्षा, रायपुर
25 FEB 2022
आवक क्रमांक 4205
आवक शाखा

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

chaturpost.com

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 426] रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 जुलाई 2022 — आषाढ़ 15, शक 1944

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 5 जुलाई 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–8/2022/38–2. – छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप–धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्र. 10357/मान्यता/184/2022/17080, दिनांक 31–05–2022, की अनुशंसा अनुसार, भारती विश्वविद्यालय, ग्राम–चंदखुरी, दुर्ग (छत्तीसगढ़) को, नीचे दी गई शर्तों के अनुसार, निम्नांकित नवीन शिक्षण कार्यक्रम पुरःस्थापित करने का अनुमोदन प्रदान करता है :–

1. अभियांत्रिकी/प्रोद्योगिकी/वास्तु शिल्प/डिजाइन
2. आयुर्वेद/हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग/फार्मेसी
3. फाइन आर्ट/परफॉमिंग आर्ट/विजुअल आर्ट/एप्लाइड आर्ट
4. पुनर्वास विज्ञान
5. संस्कृत साउन्डिंग डिग्रियॉ

शर्तें :–

(क) पूर्वोक्त संकायों/पाठ्यक्रमों का संचालन एवं प्रवेश, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उप–धारा (4) के खण्ड (ड) एवं धारा 35 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, पूर्वोक्त संकायों/पाठ्यक्रमों के लिये सुसंगत अध्यादेश जारी करने के पश्चात् ही, प्रारंभ किया जायेगा।

(ख) पूर्वोक्त संकायों/पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व, आवश्यकतानुसार, यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग), नई दिल्ली तथा अन्य केन्द्रीय विनियामक निकायों से पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

chaturpost.com

अटल नगर, दिनांक 5 जुलाई 2022

क्रमांक एफ 3–8 / 2022 / 38–2. –भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5–7–2022 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

chaturpost.com

Atal Nagar, the 5th July 2022

NOTIFICATION

No. F 3-8/2022/38-2. – In exercise of the powers conferred by proviso of sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No.13 of 2005), the State Government, hereby approval to introduce the following new teaching programme as per the recommendation of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur vide its letter No. 10357/Manyata/184/2022/17080, dated 31-05-2022, grants permission to Bharti University, Gram-Chandkhuri, Durg (Chhattisgarh), as per the conditions given here in below :-

1. Engineering/Technology/Architecture/Design
2. Ayurveda/Health & Allied Sciences/Paramedical/Nursing/Pharmacy
3. Fine Arts/Performing Arts/Visual Arts/Applied Arts
4. Rehabilitation Science
5. Sanskrit Sounding Degrees

Conditions :-

(A) Operations of and admission to the aforesaid faculties/courses shall commence only after relevant Ordinances for the aforesaid faculties/courses are issued in accordance with the provisions contained in clause (m) of sub-section (4) of Section 7 and Section 35 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005.

(B) It shall be mandatory to seek prior permission from UGC, New Delhi and other Central Regulatory Bodies, as per the requirement, before the commencement of the aforesaid faculties/courses.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUVANESH YADAV, Secretary.